आचार संहिता - बाइरैक

1.0 **परिचय**

इस संहिता को जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरैक) की "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता" के नाम से जाना जाता है (इसके बाद इसे "कंपनी" के रूप में जाना जाए)।

1.1 इस संहिता का प्रयोजन कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिकता और पारदर्शिता प्रक्रिया को बढ़ाना है।

1.2 बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए यह संहिता विशेष तौर पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बनाई गई है।

1.3 यह 1 जून 2014 से प्रभावी होगी।

2.0 **परिभाषाएं और व्याख्याएं:**

2.1 पद "**बोर्ड के सदस्य**" का अर्थ कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक होगा।

2.2 पद "**पूर्ण कालिक निदेशक**" या "कार्यकारी निदेशक" का अर्थ कंपनी के निदेशक मंडल में वे निदेशक होंगे जो कंपनी के पूर्ण कालिक नियोजन में हैं।

2.3 पद "**अंशकालिक निदेशक**" का अर्थ कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक, जो कंपनी के पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हैं।

2.4 पद "**संबंधी**" का अर्थ कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 में परिभाषित समान अर्थ।

2.5 पद "**वरिष्ठ प्रबंधन**" का अर्थ कंपनी क कार्मिक जो निदेशक मंडल के अलावा इसके केन्द्रीय प्रबंधन दल के सदस्य हैं और जिन में सभी कार्यकारी प्रमुखों सहित पूर्णकालिक निदेशकों से एक स्तर नीचे के सभी प्रबंधन कार्मिक होंगे।

2.6 पद "**कंपनी**" का अर्थ जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरैक) है ।

टिप्पणी : इस संहिता में पुलिंग के अंतर्गत स्त्रीलिंग भी शामिल होगा और एक वचन दर्शाने वाले शब्दों में बहु वचन या इसके विपरीत शामिल होंगे।

3.0 **प्रयोज्यता**

3.1 यह संहिता निम्नलिखित कर्मियों पर लागू होगी :

क) सभी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) अर्थात्

(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक, (ii) कंपनी सचिव;

(iii) पूर्णकालिक निदेशक;

(iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी; और

(v) ऐसे अन्य अधिकारी जो निर्धारित किए जा सकते हैं

ख) कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक।

ग) कानून के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी अंशकालिक निदेशक।

घ) वरिष्ठ प्रबंधन

3.2 पूर्ण कालिक निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी की लागू होने वाली / लागू अन्य नीतियों, नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन जारी रखेंगे।

4.0 **संहिता की विषयवस्तु**

भाग 1 सामान्य नैतिक अनिवार्यताएं

भाग 2 विशिष्ट व्यावसायिक जिम्मेदारियां

भाग 3 बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान

यह संहिता व्यावसायिक कार्य के आयोजन में नैतिक निर्णय लेने के आधार के तौर पर कार्य करती है। यह व्यावसायिक नैतिक मानकों के उल्लंघन से संबंधित औपचारिक शिकायत के गुण को परखने के आधार के तौर पर भी कार्य करती हैं।

यह ज्ञात है कि इस नैतिक और आचार संहिता दस्तावेज में कुछ शब्द और वाक्यांश व्याख्या के अनुसार बदल सकते हैं। किसी विवाद के मामले में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

भाग - I

5.0 **सामान्य नैतिक अनिवार्यताएं**

5.1 **समाज और मानव कल्याण में योगदान**

5.1.1 सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित इस सिद्धात में मौलिक मानव अधिकारों की सुरक्षा और सभी संस्कृतियों की विविधता के आदर की पुष्टि की गई है। हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि हमारे प्रयासों की सेवाओं को सामाजिक तौर पर जिम्मेदारी के तरीके से उपयोग किया जाए, इससे सामाजिक जरूरतें पूरी होंगी और नुकसानदेय प्रभावों से अन्य लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण का बचाव होगा। एक सुरक्षित सामाजिक परिवेश के अलावा मानव कल्याण में सुरक्षित प्राकृतिक परिवेश शामिल है।

5.1.2 अत: बोर्ड के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन, जो कंपनी की सेवाओं की संकल्पना, विकास, विनिर्माण और प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, वे सचेत रहें और अन्य लोगों को मानव जीवन तथा परिवेश की निरापदता और सुरक्षा के लिए कानूनी और नैतिक दोनों ही जिम्मेदारियों से अवगत कराएं।

5.2 **ईमानदार और विश्वसनीय बनें तथा ईमानदारी का पालन करें**

5.2.1 अखंडता और ईमानदारी भरोसे के अनिवार्य घटक हैं। भरोसे के बिना एक संगठन प्रभावी तौर पर कार्य नहीं कर सकता है।

5.2.2 बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन से सार्वजनिक उद्यम के कार्य करते समय व्यक्तिगत एवं व्यावासयिक अखंडता, ईमानदारी तथा नैतिक आचार के उच्चतम स्तरों के अनुसार कार्य करने की उम्मीद की जाती है।

5.3 निष्पक्ष रहें और भेदभाव नहीं करने के लिए कार्य करें।

5.3.1 अन्य लोगों के लिए समानता, सहनशीलता और आदर की मान्यताएं तथा समानता एवं न्याय के सिद्धांत से इस प्रयास का अभिशासन होना चाहिए। नस्ल, लिंग, धर्म, जाति, उम्र, विकलांगता, राष्ट्रीय मूल या अन्य ऐसे कारकों के आधार पर भेदभाव इस संहिता का विशिष्ट उल्लंघन है।

5.4 **गोपनीयता का सम्मान**

5.4.1 ईमानदारी का सिद्धांत सूचना के मुद्दों तक विस्तारित होता है। इसमें नैतिक सरोकार सभी पणधारियों की गोपनीयता की सभी बाध्यताओं का सम्मान करता है, जब कि उक्त बाध्यताओं का निर्वहन कानून की आवश्यकताओं या इस संहिता के अन्य सिद्धांतों द्वारा नहीं किया जाता।

5.4.2 अत: बोर्ड के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन सीपीएसई के व्यापार और कार्यों के बारे में सभी गोपनीय अप्रकाशित सूचना की गोपनीयता बनाए रखेंगे।

5.5 **प्रतिज्ञा और अभ्यास**

5.5.1 गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी और पारदर्शिता लाने के लिए सतत प्रयास करना।

5.5.2 जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अथक रूप से कार्य करना।

5.5.3 कंपनी की वृद्धि और प्रतिष्ठा के प्रति सतर्क बने रहना और कार्य करना।

5.5.4 संगठन के प्रति गर्व का अनुभव करना और कंपनी के पणधारियों को मूल्य आधारित सेवाएं प्रदान करना।

5.5.5 एक समान रूप से और डर अथवा पक्षपात के बिना कर्तव्य का पालन करना।

भाग - II

6.0 **विशिष्ट व्यावसायिक जिम्मेदारियां**

6.1 **सीपीएसई के दृष्टिकोण, मिशन और मान्यताएं - प्रत्येक दिन**

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरैक) के दृष्टिकोण, मिशन और मान्यताओं को प्रतिदिन निभाना। शीघ्र संदर्भ के लिए ये इस प्रकार हैं :

दृष्टिकोण

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद की सामरिक अनुसंधान और नवाचार क्षमताओं को उद्दीपित, पोषित और वर्धित करना, विशेष रूप से एसएमई को बायोटेक नवाचार तथा उद्यमशीलता में समाज के सबसे बड़े वर्ग के जरूरत को संबोधित करने के लिए वहनीय उत्पादों के सृजन हेतु भारत को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी बनाना।

मिशन

उद्योग में नवाचारी विचारों के उत्पादन और रूपांतरण का बायोटेक उत्पादों और सेवाओं में नेतृत्व करना, शिक्षाजगत - उद्योग सहयोग, अंतरराष्ट्रीय सह संबंधों को बढ़ावा देना तथा तकनीकी उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देना तथा व्यावहारिक जैव उद्यमों के सृजन और स्थायित्व में सक्षमता प्रदान करना।

केन्द्रीय मान्यताएं

○ईमानदारी ○ दलगत कार्य ○ प्रतिबद्धता ○ उत्कृष्टता ○ पारदर्शिता

6.2 **उत्पादों और व्यावसायिक कार्य की सेवाओं में उच्चतम गुणवत्ता, प्रभावशीलता और गरिमा को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना** : - उत्कृष्टता शायद एक व्यावसायिक का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। इसलिए, हर किसी को अपने व्यावासयिक कार्य में उच्चतम गुणवत्ता, प्रभावशीलता और गरिमा को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

6.3 **व्यावसायिक क्षमता अर्जित करना और उसे बनाए रखना :** उत्कृष्टता प्राप्त करने और व्यावसायिक क्षमता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्तियों पर निर्भर करता है। इसलिए, सभी से योग्यता के उचित स्तर के लिए मानकों की स्थापना में भाग लेने और उन मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की उम्मीद की जाती है।

6.4 **कानूनों का अनुपालन :-** बाइरैक के बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन मौजूदा स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानून सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन करेंगे। उन्हें बाइरैक के कार्य से संबंधित नीतियों, प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों का पालन भी करना चाहिए।

6.5 **उचित व्यावसायिक समीक्षा स्वीकार और प्रदान करना :** गुणवत्ता व्यावसायिक कार्य व्यावसायिक समीक्षा और टिप्पणियों पर निर्भर करता है। जब भी उपयुक्त हो, व्यक्तिगत सदस्यों की तलाश और सहकर्मी की समीक्षा के उपयोग करने के साथ ही उनके कार्य की महत्वपूर्ण समीक्षा की जानी चाहिए।

6.6 **कामकाजी जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कर्मियों और संसाधनों का प्रबंधन :** संगठनात्मक नेता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि साथी कर्मचारियों को अपना सर्वोत्तम कार्य करने के लिए एक प्रेरक कार्य एवं व्यापार परिवेश बनाया जाता है। बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन सभी कर्मचारियों की मानवीय प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे, वे बाइरैक के कर्मचारियों के व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहन देते हुए उन्हें अनिवार्य सहायता और सहयोगी प्रदान करेंगे तथा कार्य की गुणवत्ता बढ़ाएंगे।

6.7 **ईमानदार बनें और किसी भी प्रलोभन से बचें :** बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन अपने परिवार और अन्य किसी संपर्कों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के साथ शामिल लेन देनों से प्राप्त किसी भी प्रकार के व्यावसायिक शुल्क, कमिशन या अन्य कोई परिलब्धि प्राप्त नहीं करेंगे। इसमें उपहार या उल्लेखनीय मूल्य के अन्य लाभ शामिल हैं, जो कई बार संगठन के कार्य या एक एजेंसी को संविदा प्रदान करने आदि पर प्रभाव डाल सकते हैं।

6.8 **कॉर्पोरेट अनुशासन का पालन करें** : - बाइरैक के अंदर संचार का प्रवाह ठोस नहीं है और इसलिए लोग सभी स्तरों पर अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हैं। जबकि एक निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया में विचारों का स्वतंत्र आदान प्रदान होता है, किन्तु बाद विवाद पूरा होने के बाद और एक नीति को सर्व सम्मति से बनाने के बाद सभी से इसका पालन करने और बनाए रखने की उम्मीद की जाती, चाहे कुछ मामलों में लोग अलग अलग इसके साथ सहमत नहीं हैं। कुछ मामलों में नीतियां कार्य करने के लिए एक मार्गदर्शक के तौर पर कार्य करती हैं, अन्य में वे एक कार्य पर रोक लगाने पर बनाई जाती हैं। सभी को यह अंतर जानना चाहिए और इसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्हें इसका पालन करने की जरूरत क्यों है।

6.9 **इस प्रकार से कार्य करना जो कंपनी की साख बढ़ाता है :** सभी से उम्मीद की जाती है कि वे ड्यूटी के दौरान भी और ड्यूटी पर न होने पर भी इस प्रकार का व्यवहार करें कि जिससे कंपनी की साख प्रदर्शित की जाए। उनकी व्यक्तिगत सोच और व्यवहार का कुल प्रभाव कंपनी की स्थिति पर पढ़ता है और इसे संगठन के अंदर तथा सार्वजनिक तौर पर सबके बीच उसी प्रकार देखा जाता है।

6.10 **कंपनी के शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह होना :** - उन सभी के लिए जिन्हें हम सेवा प्रदान करते हैं, जिनके बिना कंपनी कार्य नहीं कर सकेगी, शेयरधार, जिनकी इसके कार्यों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, कर्मचारी जिनके सभी घटनाओं में निहित स्वार्थ हैं, विक्रेता जो समय पर प्रदायगी के लिए कंपनी को समर्थन देते हैं और समाज जिसके प्रति कंपनी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है - कंपनी के पणधारी हैं। अत: सभी को हर समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे कंपनी के पणधारियों के लिए जिम्मेदार हैं।

6.11 **व्यापार जोखिम की पहचान, शमन और प्रबंधन :** - यह सभी की जिम्मेदारी है कि वे उन व्यापार जोखिमों की पहचान के लिए कंपनी की जोखिम प्रबंधन रूपरेखा का पालन करें, जो कंपनी के प्रचालन के क्षेत्र या कार्य के आस पास हैं और कंपनी को उक्त जोखिमों के प्रबंधन के लिए व्यापक प्रक्रिया में सहायता दें, ताकि कंपनी अपने व्यापक व्यापार उद्देश्य अर्जित कर सकें।

6.12 **कंपनी की संपत्तियों की रक्षा: -** बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रंबधन भौतिक परिसंपत्तियों, सूचना और कंपनी के बौद्धिक अधिकारों सहित परिसंपत्तियों की सुरक्षा करेंगे और इसे व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग नहीं करेंगे।

भाग - III

7.0 **बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान**

7.1 **बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन के रूप में :** वे बोर्ड और समितियों की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, जिनमें वे सेवा प्रदान करते हैं।

7.2 **बोर्ड सदस्य के रूप में**

7.2.1 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / कंपनी के कंपनी सचिव को बोर्ड के अन्य पदों में किसी बदलाव, अन्य व्यापार और अन्य घटनाओं / परिस्थितियों / स्थितियों के साथ संबंध की जानकारी देना, जो बोर्ड / बोर्ड समिति के कर्तव्यों के निष्पादन में उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं या बोर्ड के निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं कि क्या वे डीपीई के दिशानिर्देशों की स्वतंत्रता आवश्यकताएं पूरी करते हैं।

7.2.2 यह वचन देना कि बोर्ड के अनिच्छुक सदस्यों के पूर्व अनुमोदन के बिना, वे हित के विवाद से बचेंगे। हितों का विवाद, चाहे तब हो सकता है जब उनके व्यक्तिगत हित हैं, जिनमें कंपनी के हित के साथ संभावित विवाद हो सकता है। दृष्टांत के मामले हैं :

संबंधित पार्टी लेन देन : कंपनी या इसकी सहायक कंपनियों के साथ किसी प्रकार के लेन देन या संबंध में प्रवेश करना, जिसमें उनके वित्तीय या अन्य व्यक्तिगत हित (या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जैसे कि परिवार के एक सदस्य या संबंध या अन्य व्यक्ति या अन्य संगठन के माध्यम से, जिसके साथ वे संबद्ध हैं)।

बाहरी निदेशक : किसी अन्य कंपनी के बोर्ड में निदेशक का पद स्वीकार करना जो कंपनी के व्यापार के साथ प्रतिस्पर्द्धा रखती है।

परामर्शी / व्यापार / रोजगार : एक ऐसी गतिविधि में संलग्न होना (चाहे यह परामर्शी सेवाएं प्रदान करने, व्यापार करने, रोजगार स्वीकार करने के रूप में है), जिससे कंपनी के प्रति उनके कर्तव्यों / दायित्वों के साथ बाधा या विवाद होने की संभावना है। उन्हें किसी कंपनी के आपूर्तिकार, सेवा प्रदाता या ग्राहक के साथ स्वयं को संबद्ध या इसमें निवेश नहीं करना चाहिए।

व्यक्तिगत लाभ के लिए आधिकारिक पद का उपयोग : किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने आधिकारिक पद का उपयोग नहीं करना चाहिए।

7.3 **व्यापार आचरण और आचार संहिता का अनुपालन**

7.3.1 **बोर्ड के सभी सदस्य और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा इस संहिता के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा और इन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा।**

संगठन का भविष्य इनकी तकनीकी तथा नैतिक उत्कृष्टता दोनों पर निर्भर करता है। यह न केवल बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है कि वे इस संहिता में बताए गए सिद्धांतों का पालन करें, इनमें से प्रत्येक को अन्य लोगों द्वारा भी इनके पालन को समर्थन और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

7.3.2 **संगठन के साथ असंगत संबद्धता को इस संहिता का उल्लंघन समझा जाए**

आचार संहिता का पालन व्यावसायिकों द्वारा किया जाना एक व्यापक और आम तौर पर स्वैच्छिक प्रकार का विषय है। जबकि बोर्ड के किसी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा यदि इस संहिता का पालन नहीं किया जाता तो बोर्ड द्वारा इस मामले की समीक्षा की जाएगी और इसका निर्णय अंतिम होगा। कंपनी को चूककर्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अधिकार है।

7.4 **विविध बिंदु**

7.4.1 **संहिता का लगातार अद्यतन करना**

इस संहिता में कंपनी के दर्शन, दृष्टिकोण, व्यापार योजनाओं या अन्यथा बदलाव, कानून में किसी प्रकार के बदलाव के अनुसार इसकी निरंतर समीक्षा और अद्यतनीकरण किया जाता है, जैसा बोर्ड द्वारा अनिवार्य पाया जाए और इन सभी संशोधनों / रूपांतरणों को इसमें बताई गई तिथि से भविष्यलक्षी तौर पर प्रभावी माना जाएगा।

7.4.2 **स्पष्टीकरण की तलाश**

बोर्ड के किसी सदस्य या वरिष्ठ प्रबंधन को इस आचार संहिता के विषय में कोई स्पष्टीकरण लाने के लिए कंपनी सचिव / अन्य किसी अधिकारी से संपर्क करना चाहिए जो निदेशक मंडल द्वारा विशेष तौर पर नामित हैं।